

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[सं० 465] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 1, 1980/आश्विन 9, 1902
No. 465] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 1980/ASVINA 9, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अतिरिक्त

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1980

व्याज-कार

क्र० क्र० 833(अ) :—केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, व्याज-
कर अधिनियम, 1974 (1974 का 45) की धारा 28 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, यह राय होने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक और समीचीन है, भारतीय रिजर्व
बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित राज्य सहकारी बैंकों
को तारीख 30 जून, 1980 के पश्चात् प्रोद्भूत या उद्भूत व्याज-कर के उद्ग्रहण से छूट देती
है।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना में, “राज्य सहकारी बैंक” पद का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 2 के खण्ड (घ) में दिया गया है।

[सं० 3686/का० सं० 5/एफ० बी०/80-टी०पी०एल०]

र० रा० खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 1980

INTEREST-TAX

S.O. 833(E).—In exercise of the powers conferred by section 28 of the Interest-tax Act, 1974 (45 of 1974), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, being of opinion that it is necessary and expedient so to do in the public interest, hereby exempts the State Co-operative Banks included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), from the levy of interest-tax accruing or arising after the 30th day of June, 1980.

Explanation :—In this notification, the expression “State Co-operative Bank” shall have the same meaning assigned to it in clause (f) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).

[No. 3686/F. No. 5/FB/80-TPL]

R. R. KHOSLA, Jt. Secy.